

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

क्रमांक:- स्थापना/2025/ 30

दिनांक:- 14.12.2025

आदेश

माह दिसम्बर-2025 में निम्नलिखित राजकीय अवकाश के दिनों में हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा व पुलिस अभिरक्षा, अभिरक्षा अवधि की अभिवृद्धि तथा उनसे संबंधित जमानत आवेदन व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें मृत्युकालिक कथन व धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करना व धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जांच करना शामिल है, करने के लिये निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट्स को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के लिये अधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायिक अधिकारीगण सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे :-

क्र.सं.	अवकाश/कार्यदिवस तिथि	पीठासीन अधिकारी मय न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	07.12.2025	मीनाक्षी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ मो.नं. 9416251727
2	13.12.2025 14.12.2025	प्रहेलिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा मो.नं. 9929285209
3	25.12.2025	अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ मो.नं. 8530487312
4	27.12.2025 28.12.2025	सुजीत कुमार तंवर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया मो.नं. 9413480883

उक्त अधिकारी न्यायिक अभिरक्षा/प्रथम सूचना रिपोर्ट/जमानत व अन्य अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्न डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे :-

Sr. No	Head Quarter Name	E-mail ID	Mobile No.
1.	Hanumangarh	remandduty@gmail.com	8209866001 (Reader MJM Court) 8279082197 (Gram nya.)
2.	Sangaria		8279082185 (ACJM Court)
3.	Pilibanga		8279082177(JM Court) 8279082186(JM Court)

नोट :-

- अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का भी निर्वहन किया जावेगा।
- इस आदेश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने के पूर्व तक नियमानुसार करेंगे और किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिए अधिकृत उक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ड्यूटी/कर्तव्य का निर्वहन किया जायेगा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

क्रमांक:- 510-519

दिनांक:- 14/11/25

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/टिब्बी/
पीलीबंगा/रावतसर/हनुमानगढ़।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/ भादरा/संगरिया
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़।
7. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) हनुमानगढ़।
8. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त
आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
9. प्रभारी अधिकारी वायरलेस केन्द्र हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ़ जिले
के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
10. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र की वेबसाईड पर इस आदेश को
अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/संबंधित पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

क्रमांक:- स्थापना/2025/31

दिनांक:- 20.12.2025

आदेश

इस कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश क्रमांक स्थापना/2025/30 दिनांक 14.11.2025, संशोधित आदेश स्थापना/2025/35 दिनांक 06.12.2025 द्वारा माह दिसम्बर 2025 का रिमांड ड्यूटी आदेश जारी किया गया था, जिसमें सहवन से दिनांक 21.12.2025 को कोई रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जा सका। अतः माह दिसम्बर-2025 में दिनांक 21.12.2025 राजकीय अवकाश के दिन हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा व पुलिस अभिरक्षा, अभिरक्षा अवधि की अभिवृद्धि तथा उनसे संबंधित जमानत आवेदन व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें मृत्युकालिक कथन व धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करना व धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जांच करना शामिल है, करने के लिये निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के लिये अधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायिक अधिकारी सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे :-

क्र.सं.	अवकाश/कार्यदिवस तिथि	पीठासीन अधिकारी मय न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	21.12.2025	अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ मो.नं. 8530487312

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

उक्त अधिकारी न्यायिक अभिरक्षा/प्रथम सूचना रिपोर्ट/जमानत व अन्य अति-आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्न डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे :-

Sr. No	Head Quarter Name	E-mail ID	Mobile No.
1.	Hanumangarh	remandduty@gmail.com	8279082197 (Gram nya.)

नोट :-

- अवकाश दिवस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा उस अवकाश के दिन प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व का भी निर्वहन किया जावेगा।
- इस आदेश द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी अवकाश के दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने के पूर्व तक नियमानुसार करेंगे और किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिए अधिकृत उक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ड्यूटी/कर्तव्य का निर्वहन किया जायेगा।

क्रमांक:- 578-587

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

हनुमानगढ़

दिनांक:- 20/12/25

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़।
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/हनुमानगढ़।
- प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा/संगरिया
- अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़।
- विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) हनुमानगढ़।
- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
- प्रभारी अधिकारी वायरलेस केन्द्र हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र की वेबसाईड पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
- आदेश/संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

हनुमानगढ़